

48/2019
07/11/19

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

दिनांक...07/.../2019

क्रमांक/कोर्ट/2019/48

—: निर्णय :-

तहसीलदार चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वन टू वन मैपिंग का कार्य सम्पादित करने के लिये ग्राम कड़वासर पटवार मण्डल सहजूसर की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता सं. 241 में खसरा नम्बर 461/127 के स्थान पर 157/461 दर्ज किये जाना उचित होगा। भूअ. निरीक्षक झारिया तथा पटवारी हल्का सहजूसर द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम कड़वासर पटवार मण्डल सहजूसर की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता सं. 241 में खसरा नम्बर 461/127 के स्थान पर 157/461 शुद्ध किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार चूरु ने भी खाता सं. 241 में खसरा नम्बर 461/127 के स्थान पर 157/461 शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

अतः पटवारी हल्का सहजूसर, भूअ. निरीक्षक झारिया तथा तहसीलदार चूरु की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अंतर्गत ग्राम कड़वासर पटवार मण्डल सहजूसर की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता सं. 241 में खसरा नम्बर 461/127 के स्थान पर 157/461 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



उपखण्ड अधिकारी
चूरु